(13)

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
गंगापुर, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 68/2017
प्रार्थना पत्र – अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0

1. मु. सोनी पुत्री तेजा चारण निवासी ठेकला तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थिया

बनाम

1. श्री कालुदान पिता खेमा चारण निवासी ठेकला तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. मु. मांगी पुत्री खेमा चारणनिवासी ठेकला तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. मु. गंगा पुत्री खेमा चारण निवासी ठेकला तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मु. नर्बदा पुत्री खेमा चारण निवासी ठेकला तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. मु. अणछी पुत्री खेमा चारण नि0 ठेकला तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. मु. नन्दु पुत्री खेमा चारण निवासी ठेकला तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. मु. लक्ष्मी पत्नि रूपा चारण निवासी ठेकला तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0

निर्णय

दिनांक 20.11.2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 एवं मु. नाथी, मु. धापु पुत्री तेजा चारण एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य होकर हिन्दु विधि से शासित होते हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरे के अनुसार हिन्दु संयुक्त परिवार के मूल पुरूष तेजा आत्मज देवीदान चारण थे, जिनके दो पुत्र खेमा व रूपा तथा तीन पुत्रियां प्रार्थिया सोनी, नाथी व धापु हुए। प्रार्थिया मृतक खातेदार तेजा चारण की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस हैं।

ग्राम ठेकला तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 391, 457, 465, 562, 592, 616, 642, 643, 645, 646, 651, 652, 662, 671, 672, 727, 746 कुल किता 17 रकबा 98–12 बीघा भूमि तेजा आत्मज देवीदान चारण एवं अन्य के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसमें तेजा आत्मज देवीदान चारण का 1/4 हिस्सा जमाबन्दी संख्या 2028 से 2031 में दर्ज रेकार्ड था।

इसी प्रकार ग्राम ठेकला के बैरून हल्का आबादी में तेजा आत्मज देवीदान चारण के खातेदारी अधिकार की साबिक आराजी नम्बर 453, 455, 497, 624, 648, 654, 656, 657, 660 कुल किता 9 रकबा 16–17 बीघा भूमि स्थित होकर दर्ज रेकार्ड थी। ग्राम ठेकला के साबिक आराजी नम्बर 604, 605, 606 कुल किता 3 रकबा 6–04 बीघा भूमि स्थित थी जिसमें तेजा आत्मज देवीदान चारण का 1/16 हिस्सा दर्ज रेकार्ड निहित था।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

(14)

खातेदार तेजा आत्मज देवीदान चारण का स्वर्गवास होने के पश्चात् उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 103 खोला जाकर ग्राम पंचायत चावण्डिया द्वारा 14.10.1973 को फैसल किया गया। खेमा व रूपा ने साठ गांठ करके मृतक तेजा की विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम पर फैसल करवा लिया, जबकि प्रार्थिया मु. नाथी व धापु भी मृतक तेजा की जायन्दा पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी की वारिस हैं।

प्रार्थिया मृतक खातेदार तेजा के हिस्से की भूमियों में 1/5 हिस्से से अपना नाम खातेदारी हक से दर्ज करवाने की अधिकारीणी हैं। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 का नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड हैं तथा प्रार्थिया का हिस्सा भी विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 के नाम पर दर्ज हो जाने का नाजायज लाभ उठा कर विपक्षीगण प्रार्थिया के हक व हिस्से की भूमि को भी अन्य को रहन बच बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरीत कर सकते है तथा प्रार्थिया को बेदखल कर सकते हैं।प्रार्थिया ने उक्त उनवान का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0ए0 का प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर दिया जो अवश्यमेव डिक्री होगा।

प्रार्थिया का प्रथम दृष्टिया मामला होकर सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में हैं।

प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि प्रार्थिया के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध ता0 फैसला मूल वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि ग्राम ठेकला के नवीन खाता संख्या 44, 27, 176 में अंकित आराजियात को विपक्षीगण किसी अन्य को रहन बच बक्षीस या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें तथा प्रार्थिया को उसके हक व हिस्से की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें व न किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.06.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 14.11.2017 को दिये गये।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद के ता0 फैसला तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। वादग्रस्त आराजियात विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम ठेकला संख्या 2069–2072 के खाता नम्बर 44, 27, 176 का अवलोकन किया, जिसमें ग्राम ठेकला का नामान्तरकरण संख्या 103 का अवलोकन किया। ग्राम ठेकला के नामान्तरकरण संख्या 103 में तेजा पिता देवी 1/4 हिस्सा के नाम किता 17 रकबा 98–12 बीघा, किता 9 रकबा 16–17 बीघा व किता 3 रकबा 6–04 बीघा भमि दर्ज होने का अंकन पाया जाता हैं।

प्रार्थिया द्वारा रेकार्डेड खातेदारान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है जिसके कारण प्रार्थिया का प्रथम दृष्टिया मामला नहीं पाया जाता है व न ही सुविधा संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में होकर, अपूरणीय क्षति ही प्रार्थिया के पक्ष में हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं। अतःएवंः–

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

—:आदेश:—

15

चुंकि प्रार्थिया ने ग्राम ठेकला तहसील सहाड़ा के नवीन खाता संख्या 44, 27, 176 में अंकित आराजियात में अस्थायी निषेधाज्ञा चाही हैं, वह आराजियात विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं, अतः रेकार्डेड खातेदारान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। जिसके कारण प्रार्थिया का प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में नहीं पाये जाते हैं। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
जिला—भीलवाड़ा